भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2571

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

सिंगरौली कोयला खानों में दुर्घटनाएँ

2571. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत एनसीएल सिंगरौली (मध्य प्रदेश) में अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटनाओं में अनेक ठेका कामगारों की जान चली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रत्येक मामले में प्रत्येक मृतक और घायल व्यक्ति को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के संबंध में श्रम निदेशक (सुरक्षा) द्वारा कोई जांच की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में हुई दुर्घटनाओं, जिनमें ठेका कामगारों की मृत्यु हुई, के कारण मुख्यतः टिपरों की टक्कर, किसी वस्तु से टकराना, व्यक्तियों के गिरने और टिपरों का पलटना हैं।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में हुई दुर्घटनाओं, जिनमें ठेका कामगारों की मृत्यु हुई, का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2021	2022	2023
मृतकों की सं.	3	1	2

(ग) : प्रत्येक मामले में हर मृतक और घायल व्यक्ति को प्रदान की गई सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष-2021

एनसीएल की खानों में हुई घातक दुर्घटना के संबंध में मृतक के परिवार को दिए गए मुआवजे का विवरण - 2021			
क्र.सं.	**मृतकों के नाम**	**दिया गया मुआवजा**	**विशेष राहत**
1	स्वर्गीय श्री नाथ केवट, (ठेका कामगार)	12,47,175 रु.	15,00,000 रु.
2	स्वर्गीय मोगली ईश्वर राव, (ठेका कामगार)	16,80,000 रु.	15,00,000 रु.
3	स्वर्गीय राजेश प्रसाद, (ठेका कामगार)	12,52,175 रु.	15,00,000 रु.

वर्ष-2022

एनसीएल की खानों में हुई घातक दुर्घटना के संबंध में मृतक के परिवार को दिए गए मुआवजे का विवरण - 2022			
क्र.सं.	**मृतकों के नाम**	**दिया गया मुआवजा**	**विशेष राहत**
1	स्वर्गीय पटवारी रावत, (ठेका कामगार)	16,01,775 रु.	15,00,000 रु.

वर्ष-2023

एनसीएल की खानों में हुई घातक दुर्घटना के संबंध में मृतक के परिवार को दिए गए मुआवजे का विवरण - 2023			
क्र.सं.	**मृतकों के नाम**	**दिया गया मुआवजा**	**विशेष राहत**
1	स्वर्गीय प्रशांत कुमार शुक्ला, (ठेका कामगार)	15,88,425 रु.	15,00,000 रु.
2	स्वर्गीय शिव शंकर साकेत, (ठेका कामगार)	14,77,950 रु.	15,00,000 रु.

घायल व्यक्तियों के मामले में, कंपनी के अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा देखभाल/संरक्षण प्रदान किया जाता है और घायल व्यक्तियों की गंभीरता के आधार पर उन्हें विशेष अस्पताल में भी भेजा जाता है। मुआवज़ा, जैसा लागू हो, भी दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों (2021-2023) में घायलों को दी गई सहायता/मुआवज़े की स्थिति निम्नानुसार है:

सहायता/मुआवजा स्थिति			
क्र.सं.	**घायल व्यक्ति का नाम**	**दुर्घटना की तिथि**	**सहायता/मुआवजा राशि**
1	श्री अरविन्द उमदेव दलाल, ब्लास्टिंग ओवरमैन,	02.07.2022	96384.00 रु.
2	श्री लगन धारी, ईपी फिटर	16.08.2022	112230.00 रु.

3	श्री सुनील कुमार, डोजर ऑपरेटर	30.01.2023	डोजर ऑपरेटर श्री सुनील कुमार का अभी भी इलाज चल रहा है और कृत्रिम टांग की खरीद के लिए 27,71,895 रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(घ) : प्रत्येक दुर्घटना मामले में खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) और आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ), एनसीएल द्वारा जांच की गई।

(ङ.) : अधिकारी/अधिकारियों को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर डीजीएमएस द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। डीजीएमएस और आईएसओ जांच के परिणाम के आधार पर नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई निम्नानुसार है:

वर्ष	**दुर्घटना की तिथि**	**मृतक का नाम / खान**	**की गई कार्रवाई का विवरण**
2021	06.04.2021	श्री श्रीनाथ केवट, (46 वर्ष), बीजीआर-गजराज कंसोर्टियम के ड्राइवर (ठेका कामगार) दुधिचुआ खान	1. श्री कृष्ण बहादुर पखरान, स्कैनिया टिपर चालक, को बर्खास्त कर दिया गया। 2. श्री शुभम कुमार मिश्रा, एचओई पर्यवेक्षक, की सेवा समाप्त कर दी गई। 3. श्री सूर्यभान पटेल, डोजर ऑपरेटर, को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 4. श्री नल्ला कांता राजू, साइट इंचार्ज, को 15 दिनों के लिए काम से निलंबित कर दिया गया है। 5. श्री बी. मल्लिकार्जुन सिंह, मालिक प्रतिनिधि (मेसर्स बीजीआर-गजराज कंसोर्टियम) को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 6. श्री राजेश प्रसाद गुप्ता, माइनिंग सरदार, को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 7. श्री प्रभात सिंह गहरवार, उप प्रबंधक (एम), शिफ्ट इंचार्ज, को

वर्ष	दुर्घटना की तिथि	मृतक का नाम / खान	की गई कार्रवाई का विवरण
			चेतावनी पत्र जारी किया गया। 8. श्री प्रेमा नंद मिश्रा, वरिष्ठ प्रबंधक (एम), एचओई इंचार्ज, को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 9. श्री वी एम सिंह, मुख्य प्रबंधक (एम), अनुभाग प्रबंधक (पूर्व) को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 10. श्री राजीव चोपड़ा, मुख्य प्रबंधक (एम), खान प्रबंधक, को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 11. श्री ओम प्रकाश प्रसाद, मुख्य प्रबंधक (एम), एजेंट, को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 12. श्री बिपिन कुमार, एरिया जीएम, को सावधानी पत्र जारी किया गया।
	21.04.2021	श्री मोगिली ईश्वर राव (20 वर्ष 11 महीने), वोल्वो मैकेनिक हेल्पर, ठेका कामगार, बीना खान	1. श्री कार्तिक सिंह, परियोजना प्रभारी, बीजीआर डीईसीओ कंसोर्टियम, को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 2. श्री रजनीश कुमार जिंदल, खान प्रबंधक को सावधानी पत्र जारी किया गया। 3. श्री नितिन सिंह, इंजीनियर (ईएंडएम) को सावधानी पत्र जारी किया गया। 4. श्री पवन सिंह, सहायक प्रबंधक (ईएंडएम) को सावधानी पत्र जारी किया गया। 5. श्री वी के सिंह, सहायक प्रबंधक (एम), को सावधानी पत्र जारी किया गया। 6. श्री गौरव सिंह, ओवरमैन को आरोप पत्र जारी किया गया। 7. श्री कोरुकनोदा चिना बाबू, सहायक मैकेनिक को निलंबन पत्र जारी

वर्ष	दुर्घटना की तिथि	मृतक का नाम / खान	की गई कार्रवाई का विवरण
			किया गया। 8. श्री डुंगा सिद्धि विनायक, गैराज पर्यवेक्षक, 2 महीने के लिए निलंबित किया। 9. श्री एम रमन्ना, ड्राइवर को काम से निकाल दिया गया। 10. श्री कोरुकोंडा चिन्ना बाबू, सहायक इलेक्ट्रीशियन, को बर्खास्त कर दिया गया। 11. श्री पल्ला नर्सिंग राव, सहायक इलेक्ट्रीशियन, अगले दो महीने के लिए निकाल दिया गया। 12. श्री संदीप कुमार, उप प्रबंधक - तकनीकी, एक वेतन वृद्धि रोक दी गई और सावधानी पत्र। 13. श्री शशि कुमार, गश्त प्रभारी, को 01 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। 14. श्री राम बाबू, शिफ्ट प्रभारी, को 01 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।
	20.10.2021	श्री राजेश प्रसाद (उम्र-46 वर्ष) टिपर चालक, ठेका कामगार, अमलोहरी खान	1. श्री राजेंद्र राम, एसओई (ईएक्ससीवी) को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 2. श्री सुधीर प्रसाद, उप प्रबंधक (एम) को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 3. श्री शिव शंकर पाल, ओवरमैन को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 4. श्री संदीप कुमार साह, इंजीनियर जीएमपीएल को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 5. श्री जनेशर हुसैन, विभागाध्यक्ष यांत्रिकी, जीएमपीएल को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 6. श्री

वर्ष	दुर्घटना की तिथि	मृतक का नाम / खान	की गई कार्रवाई का विवरण
			कबीर जैदी एमडी जीएमपीएल को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 7. श्री राम निरंजन पाल को बर्खास्त कर दिया गया हैं।
2022	13.01.2022	पटवारी रावत, (उम्र-27 वर्ष) ठेका कामगार, जयंत खान	1. श्री शिव कुमार, इंजीनियर-इन-चार्ज को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 2. श्री वीरेंद्र कुमार, सहायक प्रबंधक (ईएंडएम) को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 3. श्री एस.बी. तिवारी, फोरमैन (ईएंडएम) को बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकी गई। 4. श्री सूरज पांडे, (ठेकेदार), साइट सुपरवाइजर को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया। 5. श्री एल.के. शर्मा, ठेकेदार मेसर्स सिंगरौली स्टोन क्रशर (जेवी) को चेतावनी पत्र जारी किया गया।
2023	22.05.2023	प्रशांत कुमार शुक्ला, उम्र-28 वर्ष ठेका कामगार, दुधीचुआ खान	1. श्री सोनू राजपूत, उप प्रबंधक (खनन)/शिफ्ट प्रभारी को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 2. श्री डी एन मिश्रा, ओवरमैन को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 3. श्री रवेन्द्र कुमार शाह, ओवरमैन मेसर्स-जीएससीओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को निलंबन सह सावधानी पत्र जारी किया गया
	13.10.2023	शिव शंकर साकेत, उम्र-35 वर्ष, ठेका कामगार, ब्लॉक-बी खान	1. श्री अजीत कुमार पनिका, ओवरमैन को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 2. श्री सुमंत कुमार द्विवेदी, इंजीनियर को निदेशक मेसर्स- नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग

वर्ष	दुर्घटना की तिथि	मृतक का नाम / खान	की गई कार्रवाई का विवरण
			लिमिटेड द्वारा बर्खास्तगी पत्र जारी किया गया। 3. श्री सौरव कुमार शर्मा, इंजीनियर (उत्खनन) ब्लॉक-बी को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 4. श्री संतोष आनंद तिवारी, सहायक प्रबंधक ब्लॉक-बी को चेतावनी पत्र जारी किया गया। 5. श्री आलोक चंद्रा, परियोजना प्रबंधक, ब्लॉक-बी को निदेशक मेसर्स- नीलकंठ इंफ्रा माइनिंग लिमिटेड द्वारा चेतावनी पत्र जारी किया गया।

****